

जयपुर शहर को भिक्षावृत्तमुक्त बनाने का प्रयास

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने भिखारियों या नरिधन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये गठित पुनर्वास बोर्ड की बैठक में जयपुर शहर को भिक्षावृत्तमुक्त बनाने के लिये चरणबद्ध तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाए जाने हेतु वभागीय अधिकारियों को नरिदेश दिये ।

प्रमुख बडि

- उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किये गए भिखारियों को वभाग द्वारा संचालित पुनर्वास गृह में 7 दनि पुनर्वासति कर चहिनति कयिा जाए और उन्हें पात्रता अनुसार बाल गृह, नारी नकितन, मानसकि वमिदति गृह, वृद्धाश्रम गृह आदि में भेजने तथा प्रशकिषण में रुचिरिखने वाले भिक्षावृत्त में लपित एवं नरिधन व्यक्तियों के प्रशकिषण की व्यवस्था की जाए ।
- इसके अतरिकित उन्होंने वभागीय अधिकारियों को रेस्क्यू कयिे जाने वाले भिखारियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के साथ ही चहिनति व्यक्तियों के पुनः भिक्षावृत्त में लपित पाए जाने पर पुलसि वभाग द्वारा कार्यवाही कयिे जाने के नरिदेश दयिे ।
- गौरतलब है कि राजस्थान में भिखारियों का पुनर्वास करने के लिये 'राजस्थान भिखारियों या नरिधन व्यक्तियों का पुनर्वास अधनियिम, 2012' को क्रयिान्वति कयिा जा रहा है ।